इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2011—फाल्गुन 26, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2011

क्र. 7995-वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 17 मार्च 2011 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. वृहत् शीर्ष का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ४ का संशोधन.

५. धारा ९-ख का अंतःस्थापन.

६. धारा १० का संशोधन.

७. धारा १०-क का संशोधन.

८. धारा १४ का संशोधन.

९. धारा २०-क का संशोधन.

१०. धारा २४-ख का संशोधन.

११. धारा २६ का संशोधन.

१२. धारा २६-क का संशोधन.

१३. धारा ३४ का अंतःस्थापन.

१४. धारा ४२ का संशोधन.

१५. धारा ४६ का संशोधन.

१६. धारा ४७ का संशोधन.

१७. धारा ५३ का संशोधन.

१८. धारा ५६ का संशोधन.

१९. धारा ५७ का संशोधन.

२०. धारा ६१ का संशोधन.

२१. धारा ६३ का स्थापन.

२२. अनुसूची-१ का संशोधन.

२३. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) (क) धारा ३(दो) के उपबंध १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) धारा ७ के उपबंध १ अगस्त, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) धारा १४ और धारा २२ के खण्ड (दो) तथा (तीन) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(घ) धारा २३ के खण्ड (दो) के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ङ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त होंगे.

वृहत् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''मध्यप्रदेश राज्य में माल के विक्रय तथा क्रय पर कर और भवनों पर कर के उद्ग्रहण हेतु अधिनियम.''.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ग क)''भवन निर्माता'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो विक्रय या पट्टे के लिए भवन निर्माण करने का व्यवसाय करता है;'';

(दो) खण्ड (ज क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ज क) ''पका हुआ भोजन'' से अभिप्रेत है, भोजन तथा स्वल्पाहार जिसमें सम्मिलित है चाय तथा कॉफी, जो होटलों, रेस्तराओं और इनके सदृष्य या केटरर द्वारा तैयार तथा परोसा गया हो;''.

(तीन) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(त क)'' ''अधिकृत वेब पोर्टल'' से अभिप्रेत है ऐसा वेब पोर्टल जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(त ख) ''व्यक्ति'' में सम्मिलित है कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और उसमें हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कोई शासकीय उपक्रम भी है;''.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (४) और उपधारा (१२) का लोप किया जाए.

धारा ९-ख का अंत:स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

भवनों पर कर.

"९-ख. (१) (क) प्रत्येक भवन निर्माता उसके द्वारा निर्मित किए गए भवन या किसी भवन के भाग, जो १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रथम बार विक्रय किया जाता है या पट्टे पर दिया जाता है, के पूंजीगत मूल्य पर, पांच प्रतिशत की दर से कर के भुगतान हेतु दायी होगा.

(ख) यदि किसी भवन का कोई स्थान १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रथम बार पट्टे पर दिया गया है, तो पूरा भवन १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् पट्टे पर दिया गया समझा जाएगा.

(२) (क) भवन से नियत भूमि का ऐसा मूल्य जैसा कि विहित किया जाए इसके पूंजीगत मूल्य के निर्धारण के लिए इसके भूमि और भवन दोनों के बाजार मूल्य में से कम किया जाएगा.

(ख) यदि किसी भवन का विक्रय मूल्य उसके बाजार मूल्य से अधिक है, तो इसके पूंजीगत मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसका विक्रय मूल्य इसके बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा.

(३) प्रत्येक भवन निर्माता जो उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी है और जो धारा ९ के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी नहीं है, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, स्वयं को तालिकांकित (एनरोल्ड) कराएगा.

(४) कोई तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता और कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो भवनों के निर्माण में उपभोग या उपयोग के लिये मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय किए गए अनुसूची २ के भाग तीन में विनिदिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी है, ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.

(५) ऐसे मालों के संबंध में जैसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन किसी रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा और न ही अनुज्ञात किया जाएगा.

(६) उपधारा (४) के अधीन रिबेट, उपधारा (१) के अधीन देय कर के विरुद्ध समायोजित की जाएगी.

(७) इस अधिनियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी भवन निर्माता को लागू होंगे.".

धारा १० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द और अंक "धारा १६ के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा १६ के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल या धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट माल" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किसी माल या धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल" स्थापित किए जाएं.

धारा १०-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १०-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "चार प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, शब्द "ऐसी दर से जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (७) में, शब्द "चार प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, शब्द "उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित दर से" स्थापित किए जाएं.

८. मूल अधिनियम की धारा १४ में,— धारा १४ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (घ) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क क) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्ययीन रहते हुए, जैसे कि विहित किए जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राकृतिक गैस, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है तथा इस प्रकार क्रय की गई प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग करता है और निर्मित माल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर रिबेट, जो ऐसी प्राकृतिक गैस के क्रय मूल्य, आगत कर के शुद्ध के ५ प्रतिशत से अधिक है, का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (३) में कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर "(१) तथा (१ क)" के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द "(१), (१ क), (१ कक) तथा (१ ख)" स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (४) में, खण्ड (दो) में, शब्द "भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में" का लोप किया जाए.

९. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "चालीस" के स्थान पर, शब्द "साठ" स्थापित किया जाए; धारा २०-क का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २४-ख में, उपधारा (३) में, खण्ड (दो) में, शब्द "कर की सम्पूर्ण रकम" के स्थान पर, शब्द "कर की सम्पूर्ण अविवादित रकम" स्थापित किए जाएं. धारा २४-ख का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (१) में, शब्द "किसी राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "किसी राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" स्थापित किए जाएं. धारा २६ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २६-क में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा २६-क का संशोधन.

"(५) क्रेता, उपधारा (१) के अधीन कटौती की गई ऐसी रकम जमा करेगा जो ऐसे क्रयों पर धारा १४ के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय आगत कर रिबेट की रकम से अधिक हो.".

१३. मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ३४ का अंत:स्थापन.

"३४. (१) जहां धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण/ पुन: कर निर्धारण करने की कार्यवाही में आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हो, वहां व्यापारी, ऐसे आदेश की तामील या जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को आदेश अपास्त करने के लिए तथा उस मामले को पुन: आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक नियत तारीख को उपसंजात होने से पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था, तो वह उस आदेश को, यथाविहित उच्चतर प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, अपास्त कर सकेगा तथा उस मामले को सुनवाई के लिए पुन: आरम्भ कर सकेगा: एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति.

परन्तु,—

(एक) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने के लिए कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ कर की उस रकम के, जो कि व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई है, भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न न हो;

(दो) ऐसा कोई आवेदन किसी कार्यवाही के दौरान केवल एक ही बार ग्रहण किया जाएगा.

(२) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अपास्त कर दिया जाता है और इस धारा के अधीन नवीन कर निर्धारण करने के लिए मामला पुनः खोला जाता है, वहां ऐसा नवीन कर निर्धारण एकपक्षीय आदेश के अपास्त किये जाने की तारीख से छह कलैण्डर मास की कालावधि के भीतर या धारा २० की उपधारा (७) के खण्ड (एक) में अधिकथित कालावधि के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती है, किया जाएगा.''.

धारा ४२ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(२) आयुक्त, स्वयं के प्रस्ताव से या किसी व्यापारी द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा ४६ के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग को (जिसमें इस उपधारा के अधीन पूर्व में अंतरित की गई कार्यवाही सम्मिलित है) धारा ३-क के अधीन नियुक्त किसी अपीली प्राधिकारी के पास से किसी अन्य अपीली प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा. ऐसी किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में प्रज्ञापना व्यापारी को भेजी जाएगी.''.

धारा ४६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यदि किसी व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ, शेष रकम के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम का भुगतान किया जाता है, तो अपीली प्राधिकारी अतिशेष की वसूली रोक देगा और अपीली प्राधिकारी छह कलैण्डर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा.'';

(दो) उपधारा (६) में, शब्द ''अपील का विनिश्चय होने तक'' के स्थान पर, शब्द ''धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (७) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा ३४ के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यापारी कर निर्धारण के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील वैसी ही रीति में ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामीली की तारीख से तीस दिन के भीतर कर सकेगा.''.

धारा ४७ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४७ में, उपधारा (१) में, परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(तीन) जहां ऐसा आदेश धारा ३४ के अधीन पारित किया जाए.''.

१७. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, उपधारा (५) में, शब्द ''पचास प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं. धारा ५३ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ५६ में,— धारा ५६ का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) कर का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयुक्त, व्यापारियों का सर्वेक्षण और क्रयों का प्रतिसत्यापन करा सकेगा.'';

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन'' स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (४) में,—

(क) शब्द ''सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन'' स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द ''किन्तु वह अरजिस्ट्रीकृत है या उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,'' का लोप किया जाए.

१९. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,— धारा ५७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''रेल परिसरों को अपवर्जित करते हुए,'' का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और भी कि माल का परिवहन करने वाला परिवहनकर्ता, यदि दस्तावेजों के साथ खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक रूप में जारी किया हुआ घोषणा प्ररूप, जिसका विवरण, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने की तारीख और लगभग समय सहित, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर पूर्णत: प्रविष्ट कराया गया हो, अपने साथ रखता है, तो उसके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन की गई अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया समझा जाएगा.''.

(तीन) उपधारा (८) में,—

(क) शब्द ''सात गुना'' और ''पांच गुना'' के स्थान पर, शब्द ''पांच गुना'' और ''तीन गुना'' क्रमश: स्थापित किए जाएं;

(ख) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि किसी भी दशा में, शास्ति की रकम माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.'';

(चार) उपधारा (१७) में, शब्द ''तीन गुना'' के स्थान पर, शब्द ''दो गुना'' स्थापित किए जाएं;

(पांच) धारा के स्पष्टीकरण में,—

(क) खण्ड (एक) में, शब्द ''परिवहन का कोई भी साधन'' के स्थान पर, शब्द ''परिवहन का कोई भी साधन, रेलवे सहित,'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (दो) को खण्ड (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (तीन) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(दो) 'परिवहनकर्ता' में सम्मिलित है ऐसे माल का वहन करने वाले यान का स्वामी, चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था, सोसाइटी हो या कंपनी हो, और ऐसे स्वामी का प्रबंधक, यदि कोई हो; और.''.

धारा ६१ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यदि व्यापारी दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में ऐसी घोषणा, जिसका विवरण विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर परिदान लेने के पूर्व पूर्णत: प्रविष्ट कराया गया हो, अपने साथ रखता है, तो उसके द्वारा ऊपर की गई अपेक्षा का अनुपालन किया गया समझा जाएगा.''.

धारा ६३ का स्थापन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जानकारी मंगाने की शक्ति.

''**६३.** (१) आयुक्त या उसे सहायता देने के लिए धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नगरपालिका और नगर निगम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बैंककारी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों या बीमा कम्पनियों से या उनके किसी अधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन की गई अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां आयुक्त, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसे शास्ति के रूप में रुपये पचास प्रतिदिन की राशि, अधिकतम रुपये पांच हजार के अध्यधीन रहते हुए भुगतान करने का निदेश दे सकेगा.''.

अनुसूची १ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की अनुसूची १ में,—

(एक) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (२) में, शब्द ''तेल रहित खली जिसमें सोयामील और कपास्या खली सम्मिलित हैं'' के स्थान पर, शब्द ''तेल रहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है, कपास्या खली और सरसों खली'' स्थापित किए जाएं;

(दो) अनुक्रमांक ४८ के सामने कालम (२) में, शब्द ''जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९८५ (१९८६ का ५) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है'' के स्थान पर, शब्द ''जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) अनुक्रमांक ४९ के सामने कॉलम (२) में, शब्द ''जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९८५ (१९८६ का ५) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है'' के स्थान पर, शब्द ''जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है'' स्थापित किए जाएं;

(चार) अनुक्रमांक ५८ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द "स्व-सहायता समूहों द्वारा" के स्थान पर, शब्द "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या स्व-सहायता समूहों द्वारा" स्थापित किए जाएं;

(पांच) अनुक्रमांक ८५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"८६. किसी स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय से प्राप्त किए गए ठोस अपशिष्ट से बनाया गया ईंधन.

८७. पंचामृतम, नमाकट्टी और विभूति.".

२३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, भाग-दो में,— **अनुसूची २ का संशोधन.**

(एक) अनुक्रमांक ५ क के सामने कॉलम (२) में, अंक "१००" के स्थान पर, अंक "१५०" स्थापित किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक ५ (ख), २७, ३०, ३४ (क), ८४ और १०६ के सामने, कॉलम (३) में अंक "४" के स्थान पर, अंक "५" स्थापित किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक २० के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"२० क. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट को डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के विरुद्ध विक्रय किया गया कैन्टीन स्टोर्स ४";

(चार) अनुक्रमांक २२ में, कॉलम (२) में, शब्द "तथा उनके पुर्जे" के स्थान पर, शब्द "तथा उनके पुर्जे, फुट वॉल्व" स्थापित किए जाएं;

(पांच) अनुक्रमांक २९ में, कॉलम (२) में, शब्द "कप और गिलास" के स्थान पर, शब्द "कप, गिलास, प्लेट, कटोरी (दोना-पत्तल) और चम्मच" स्थापित किए जाएं;

(छ:) अनुक्रमांक ३१ में, कॉलम (२) में, शब्द "कपास्या खली को अपवर्जित करते हुए" के स्थान पर, शब्द "कपास्या खली और सरसों खली को अपवर्जित करते हुए" स्थापित किए जाएं;

(सात) अनुक्रमांक ११० में, सामने कॉलम (२) में, प्रविष्टि क्रमांक ११ का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०११-१२ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट मूल्य संवर्धन कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से और कतिपय अन्य मुद्दों जैसे कतिपय माल पर क्रय कर के उपबंधों का युक्तियुक्तकरण करने, एकपक्षीय आदेश से संबंधित मामलों में पुन: सुनवाई का अवसर देने, विभागों के कम्प्यूटरीकरण की दृष्टि से घोषणा प्ररूप को आनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं. अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ अन्य उपबंधों का भी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल: **राघवजी**
दिनांक १० मार्च, २०११. भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३, ५, ७, ८, ११, १३, २० और २२ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं :—

खण्ड ३—इस खण्ड के उपखण्ड (तीन) के द्वारा राज्य सरकार को आधिकारिक वेब पोर्टल अधिसूचित करने हेतु अधिकृत किया जा रहा है.

खण्ड ५— इस खण्ड के अन्तर्गत भवन से संबंधित भूमि का मूल्य विहित करने, नामांकन हेतु रीति विहित करने, आगत कर रिबेट हेतु अपात्र मालों को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है..

खण्ड ७— इस खण्ड में कर की दर अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है.

खण्ड ८— प्राकृतिक गैस के आगत कर के संबंध में प्ररूप विहित किए जाने एवं आगत कर के दावे की कालावधि सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड ११—इस खण्ड द्वारा राज्य सरकार को स्रोत पर कटौती हेतु किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अधिसूचित करने हेतु अधिकृत किया जा रहा है.

खण्ड १३—इस खण्ड के अन्तर्गत पूर्व अनुमति हेतु उच्चतर प्राधिकारी अधिसूचित करने हेतु अधिकृत किया जा रहा है. उपरोक्त प्रस्थापनाएं सामान्य स्वरूप की हैं.

खण्ड २०—दस्तावेजों की घोषणा का प्ररूप विहित किए जाने, एवं

खण्ड २२—रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अधिसूचित किये जाने

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.